GRAM : "AYUSH"

महाराव शेखाजी आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान
(अधीनस्थ केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् आयुष मन्त्रालय भारत सरकार)
इन्दिरा कालोनी बनी पार्क झोटवाडा रोड जयपुर-302016

M. S. AYURVEDA CENTRAL RESEARCH INSTITUTE
(Under C.C.R.A.S., Ministry of AYUSH, Government of India)
Indira Colony. Bani Park, Jhotwara Road, Jaipur – 302016
EPABX: 0141-2281812 Telefax: 0141-2282618 Email:acri-jaipur@nic.in, acri.jaipur@gmail.com

आवश्यकता अनुसार बुलाने पर/मासिक आधार पर सवारी वाहन सेवाएं किराये पर लेने के लिए निविदा प्रलेख

(क) सामान्य

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के अधीन महाराव शेखाजी आयुर्वेद केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, इन्दिरा कालोनी, बनीपार्क, झोटवाड़ा रोड़, जयपुर–302016 में सवारी वाहन किराये पर लेने के लिये प्रारम्भ में 6 माह अथवा 1 वर्ष के लिये (परियोजना अवधि के अनुसार) आवश्यकतानुसार **किसी भी दिन/समय अथवा मासिक आधार** पर संस्थान में चल रही विभिन्न परियोजनाओं (आयुर्वेद मोबाइल स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम–SCSP एवं स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम–SRP) के लिये चयनित स्थानों/गॉवों (जयपुर जिला) मैं चिकित्सा शिविर हेतु दौरे के लिये वाहन की आवश्यकता है।

सवारी वाहन किराये पर लेने के लिये लिमिटेड निविदा (कोटेशन) पूर्ण रूप से भरे हुये प्रभारी संस्थान में दिनांक 22.12.2015 अपरान्ह 2.30 बजे तक प्राप्त होनी चाहिए। प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा अस्वीकार की जायेगी। अपूर्ण निविदा, ई–मेल अथवा फैक्स द्वारा प्राप्त निविदा भी स्वीकार नही की जायेगी। निविदायें संस्थान कार्यालय में ही उसी दिन दिनांक 22.12.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे निविदा दाताओं अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों, जो भी उपस्थित हों, के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृत करने से पूर्व संस्थान बिना कोई कारण स्पष्ट किये समस्त निविदाओं को पूर्ण अथवा आंशिक अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ख) योग्यता मापदण्डः

इच्छुक पंजिकृत एजेन्सिया/निविदा दाता, जो कि निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते है आवेदन करने के योग्य होंगेः–

1. एजेन्सी केन्द्र/राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग (परिवहन विभाग) से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों में पंजीकृत होनी चाहिए (पंजीकरण की प्रतिलिपि संलग्न करें)
2. कभी भी बुलाये जाने पर संस्थान को समय पर उपयुक्त सवारी वाहन उपलब्ध कराने हेतु एजेन्सी के पास हर समय वांछित प्रकार का वाहन उपलब्ध होना चाहिये।
3. एजेन्सी पर लागू सर्विस टैक्स (सेवा कर) के पंजीकरण और आयकर के पेन की प्रतिलिपियां संलग्न करें।
4. किसी भी निविदा दाता की निविदा जो कि योग्यता मानदण्ड की शर्तो का पालन नहीं करती है और अपूर्ण है अथवा अपेक्षित दस्तावेज, जैसा कि निविदा प्रलेख में अंकित है प्रस्तुत करने में असफल होने पर अस्वीकार करने योग्य होगी।

(ग) **विधिमान्यताः**

1. अनुबंध एवं उद्धत दरें कार्य शुरू करने की तिथि से 6 माह अथवा 1 वर्ष तक वैध होगी। परन्तु फर्म एवं संस्थान के मध्य सहमति के आधार पर उन्हीं शर्तो एवं दरों पर अनुबंध को आगे भी बढाया जा सकेगा।
2. यदि किसी मामले में निविदादाता निर्धारित अवधि के दौरान अपने प्रस्ताव को वापस लेता है, संशोधित करता है, अथवा परिवर्तन करता है, अथवा सफल निविदादाता अनुबन्ध निष्पादित नही करता है तो निविदा अस्वीकृत करने योग्य होगी।

(घ) **वित्तीय बोली**

1. "वित्तीय बोली" इस निविदा प्रलेख के अन्त में दिये गये परिशिष्ट–प्रपत्र में पूर्ण एवं ठीक तरह से भरी होनी चाहिये।
2. निविदादाता के द्वारा अपना पूर्ण पता देते हुये वित्तीय बोली साफ भरी हुई अथवा टाईप एवं स्हाई से सुस्पष्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिये। परिवर्तन अगर कोई है तो निविदादाता द्वारा उसके पूर्ण हस्ताक्षर करके प्रमाणित नहीं होने पर निविदा अवैद्य होगी। निविदा अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिये।
3. अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं हस्ताक्षर बिना वित्तीय बोली गैर जिम्मेदार समझी जावेगी एवं अस्वीकार की जायेगी।
4. सेवा कर एवं अन्य उपकर जो कि नियमानुसार लागू हो अलग से देय होगा एवं निविदादाता एजेन्सी पर सेवा कर की लागू दरें भी वित्तीय बोली में अंकित करनी होगी। यदि निविदादाता को सेवाकर में कोई छूट प्राप्त है तो सम्बन्धित राजकीय अधिसूचना/आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित करते हुये उसकी प्रतिलिपि भी संलग्न करे

(ड.) **अनुबंध का आवंटन**

दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाये गये निविदादाताओं की वित्तीय बोली के उचित मूल्यांकन के पश्चात् संस्थान सफल निविदा दाता फर्म के साथ चिकित्सा शिविर हेतु सवारी वाहन के लिये अनुबंध करेगा।

(च) **निष्पादन प्रतिभूति**

1. सफल निविदादाता (फर्म) को रूपये 100/– (रूपये एक सौ मात्र) रूपये का स्टाम्प पेपर क्रय कर संस्थान के साथ अनुबंध करना होगा।

(छ.) **अन्य शर्तेः**

1. फर्म को संस्थान में आवश्यकता के अनुसार बुलाने पर/मासिक आधार पर सवारी वाहन समय पर उपलब्ध करानी होगी। फर्म को सौंपा गया कार्य उपसंविदा पर नहीं दिया जायेगा।
2. सवारी वाहन अच्छी हालत में, उसकी सींटे मय कवर साफ–सुथरी होनी चाहिये।
3. सवारी वाहन में समय पर पर्याप्त ईंधन आयॅल भराने अतिरिक्त पुर्जे, व्यापक बीमा, मरम्मत एवं रखरखाव आदि की समस्त कीमत फर्म वहन करेगी। ड्राईवर के वेतन एवं अन्य व्यय फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
4. सवारी वाहन के ड्राईवर के पास टैक्सी चलाने का वैद्य लाईसेन्स होना आवश्यक है। ड्राईवर सरकारी विभाग/प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समस्त यातायात नियम एवं विनियमों का पालन कठोरता से करेगा। किसी भी यातायात नियम एवं विनियमों के उल्लंघन पर सरकारी प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रभार के किसी भी प्रकार की प्रतिपूर्ति के लिये संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा। ड्राईवर सावधानीपूर्वक एवं निर्धारित गति सीमा में ही वाहन चलायेगा।

5. ड्राईवर जब भी वाहन चलायेगा किसी भी मामले में धुम्रपान करना एवं मोबाईल पर बात करना निषेध रहेगा।
6. टोल कर एवं पार्किंग प्रभार की रसीद प्रस्तुत करने पर प्रतिपूर्ति की जायेगी।
7. किसी दुर्घटना के मामल में, उक्त दुर्घटना के कारण यदि कोई मुआवजा–दावें किये जातें है तो प्रत्येक व्यक्तिगत मामले की पात्रता के अनुसार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति अथवा उनके कानूनी उत्तराधिकारी को तत्समय लागू कानून के तहत फर्म द्वारा निपटाये जावेंगे।
8. किरायें के लिये वाहन के बिल भुगतान हेतु कार्यालय में दो प्रतियों में मासिक प्रस्तुत किये जायेंगे।
9. वाहन के खराब होने व उसके ठीक होने/दूसरा वाहन उपलब्ध कराने के बीच का समय संस्थान के खाते में नहीं जुडेगा।
10. निविदा प्रलेख/एग्रीमेन्ट संबन्धी कोई भी विवाद पहले प्रभारी संस्थान द्वारा ही सुलझाया जायेगा। अन्यथा परिस्थिति में केवल जयपुर के सक्षम न्यायालय एवं फोरम के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।

आवश्यकता अनुसार बुलाने पर/मासिक आधार पर वाहन किराया प्रभार की वित्तीय बोली

किसी भी दिन/समय संस्थान के द्वारा वाहन बुलाने पर मद विवरण	आवश्यकता अनुसार बुलाने पर **बोलेरो/टवेरा/क्वालिस वाहन (मय केरियर)**		मासिक आधार पर **बोलेरो/टवेरा/क्वालिस वाहन (मय केरियर)** प्रात 9 बजे से सांय 5 बजे तक	
	जयपुर नगर निगम क्षेत्र	जयपुर जिला	जयपुर नगर निगम क्षेत्र	जयपुर जिला
(i). 06 घण्टे, 60 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार			दर	दर
(ii) 08 घण्टे, 80 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार				
(iii) 10 घण्टे, 100 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार				
(iv) 12 घण्टे, 120 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार				
(v) ओवरटाइम का प्रतिघण्टा अतिरिक्त प्रभार				
(vi) अतिरिक्त दूरी का प्रति किलोमीटर अतिरिक्त प्रभार				
(vii) 24 घण्टे 250 किलोमीटर के लिये किराया प्रभार				

नोट :– उपयुक्त उद्धरित दरें सभी लागत कर प्रभार इत्यादि सहित होंगी।

1/7/2015

(डॉ0 एच.एम.एल. मीणा)
प्रभारी, अनुसंधान अधिकारी (वैज्ञा.–3)